



NCRES

NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.&I.T.F.
Central Office : 464-AB, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)
Website : www.ncresindia.org | E-mail : rpsinghncr@gmail.com

R. P. Singh

Gen. Secretary
&
Treasurer-NFIR

Resi. 273-A, Nyay Vihar Colony
Sulem Sarai, Prayagraj - 211011
P&T (O) 0532-2560480, (R) 2972645

No : 219/NCRES/42/24

Date : 28.8.2024

डा0 एम. राघवैय्या
महामंत्री, एन.एफ.आई.आर.
नई दिल्ली


विषय :- यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में निम्न प्रावधानों को जोड़ने हेतु।

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 1.4.2025 से लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में कर्मचारियों ने राय व्यक्त किया है कि निम्न कमियों को दूर कराया जाय।

- (1) कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह 10 % कटौती को सेवानिवृत्ति पर प्रोविडेन्ड फन्ड पर दी जा रही व्याज दर पर व्याज सहित वापस किया जाय।
- (2) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद पेंशन देना सुनिश्चित किया जाय।
- (3) हर वेतन आयोग पर वेज रिवीजन के साथ पेंशन रिवीजन किया जाय।
- (4) OPS की तरह पेंशनर को 80 से 100 वर्ष के उम्र के बीच होने पर Additional पेंशन दिया जाय।
- (5) 25 वर्ष के बजाय 20 वर्ष की क्वालीफाईंग सर्विस पर पूरी पेंशन दिया जाय।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मदों पर त्वरित कार्यवाही हेतु रेलवे बोर्ड को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी UPS को ज्वाइन कर सकें।


(आर. पी. सिंह)
महामंत्री